

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू० / एन०पी०-91 / 2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 7 मार्च, 2018

फाल्गून 16, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 532 / 79-वि-1—18-1(क)-16-2017 लखनऊ, 7 मार्च, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 10 फरवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

- 1—(1) यह अधिनियम विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) संक्षिप्त नाम और अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 11 सन् 1976 की धारा 10-क का बढ़ाया जाना 2—विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

> "10-क (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी ऐसे अपराध का शमन, अपराधों का राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी सक्षम प्राधिकारी शमन द्वारा अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे अपराध के लिए विहित जुर्माना सहित शमन फीस स्वरूप 50 प्रतिशत जुर्माना अधिरोपित करने के पश्चात्, किया जायेगा :

> > परन्तु शमन हेतु उपचार केवल प्रथम अपराध के लिए उपलब्ध होगा।

- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी किसी अपराध का शमन किए जाने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार के निदेश नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन करेगा।
- (3) किसी अपराध के शमन किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन यथा विहित प्रपत्र में और रीति से किया जायेगा।
- (4) जहाँ किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहाँ ऐसे अपराधी के विरुद्ध जिसके सम्बन्ध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, ऐसे अपराध के सम्बन्ध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।
- (5) जहाँ किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है वहाँ ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जाएगा जिसमें ऐसा अभियोजन लिम्बित है और अपराध के शमन का इस प्रकार संज्ञान में लाये जाने पर वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस प्रकार अपराध का शमन किया गया हो, उन्मोचित कर दिया जाएगा।"

उद्देश्य और कारण

कतिपय अधिष्ठानों में कर्मचारियों की सेवा शर्तों के विनियमन की व्यवस्था करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया गया है।

विगत अनेक वर्षों से न्यायालयों में अनावश्यक मुकदमेंबाजी से बचने और लिम्बत वादों की संख्या में कमी करने के उद्देश्य से लघु अपराधों के शमन का उपबन्ध पुरःस्थापित करने के लिए माँग बढ़ती रही है। नियोक्ता संघों एवं व्यापार संघों से विचार—विमर्श और परामर्श करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम के अधीन अपराध के लिए विहित जुर्माना सिहत शमन फीस स्वरूप जुर्माने का पचास प्रतिशत संदाय करने पर प्रथम अपराध का शमन किया जाय।

तदनुसार विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

No. 532(2)/LXXIX-V-1-18-1(ka)-16-2017 Dated Lucknow, March 7, 2018

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Vikraya Samyardhan Karmchari (Sewa Shart) (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on February 10, 2018.

THE SALES PROMOTION EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2017

(U.P. Act No. 18 of 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Sales Promotion Employees (Conditions of Short title and Service) (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2017.

extent

- (2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.
- 2. After section 10 of the Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 the following section shall be inserted, namely:-

Insertion of section 10-A of Act no. 11 of 1976

"10 A (1) Any offence punishable under this Act shall be compounded on the application of accused before or after institution of Composition of Offences prosecution by a competent authority notified by the State Government, after imposing 50% of the fine for the offence as compounding fee along with the prescribed fine:

Provided that remedy for compounding shall be available for the first offence only.

- (2) Every officer referred to in sub-section(1) shall exercise the power to compound an offence subject to the direction, control and supervision of the State Government.
- (3) Every application for the compounding of an offence shall be made in such form and in such manner as may be prescribed.
- (4) Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.
- (5) Where the composition of any offence is made after the institution of any prosecution, such composition shall be brought by the officer referred to in sub-section (1) in writing to the notice of the court in which prosecution is pending and on such notice of the composition of the offence being given, the person against whom the offence is so compounded shall be discharged."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Sales Promotion Employees (Condition of Service) Act, 1976 has been enacted by the Central Government to provide for regulation of conditions of service of employees in certain establishment.

For the last many years there has been a growing demand for the introduction of provision for compounding of small offences in order to avoid unnecessary litigation and to reduce the number of cases pending in courts. After due consideration and consultation with association of employers and trade unions, it has been decided to compound first offence on payment of fifty per cent of the fine as compounding fee along with prescribed fine for the offence under said Act.

The Sales Promotion Employees (Condition of Service) (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस0यू०पी०—ए०पी० ९४९ राजपत्र—(हिन्दी)—2018—(2920)—599 प्रतियां—(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)। पी०एस0यू०पी०—ए०पी० २०० सा० विधायी—2018—(2921)—300 प्रतियां—(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।